न्यायालय:अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : शक्ति सिंह, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मुत. अपील संख्या : 03/2026

सी.आई.एस. नंबर : 03/2026

1. सन्तोषदेवी पत्नी कंवरसिंह, निवासी दाधिया तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा, राज.। **.....अपीलार्थी/प्रार्थीया**

बनाम

1. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा, राजस्थान।
2. कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राजस्थान।

....प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 10-02-2026 द्वारा श्री सुयश आर-जे-एस, सिविल न्यायाधीश, मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 46/01/2026, बउनवान संतोष देवी बनाम सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा व अन्य बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थितिः-

1. श्री अरूण पंडित व दीपक कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी/प्रार्थीया की ओर से।
2. श्री पृथ्वीसिंह यादव, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक 06-07-2026

1. अपीलार्थी/प्रार्थीया सन्तोषदेवी ने यह अपील सक्षम अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायाधीश मुण्डावर के आदेश दिनांक 10-02-2026 जो उनके द्वारा दीवानी मुतफरिक प्रार्थना पत्र संख्या 46/01/2026 बउनवान

संतोष देवी बनाम सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा व अन्य बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पारित किया जाकर अपीलार्थी/प्रार्थीया सन्तोषदेवी की ओर से प्रस्तुत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रार्थीया सन्तोष देवी ने उक्त अपील दिनांक 06-03-2026 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि अपीलार्थी/प्रार्थीया सन्तोषदेवी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 271 रकबा 0.81 हैक्टेयर, 275 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 276 रकबा 0.19 हैक्टेयर वाके ग्राम गादली तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 271 रकबा 0.81 हैक्टेयर, 275 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 276 रकबा 0.19 हैक्टेयर व अन्य आराजीयत प्रार्थिया व अन्य सहखातेदारान की आराजी रही है तथा प्रार्थिया व अन्य सहखातेदारान द्वारा आपसी सहमति से आराजी का बहामी बंटवारा किया हुआ है, जिसमें खसरा नंबर 271, 275, 276 में रास्ते से लगती हुई आराजी प्रार्थीया के हिस्से आयी हुई है तथा प्रार्थिया ने उक्त आराजी के साथ लगते हुये गैर-मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 312 के पास खसरा नंबर 271 में अर्सा करीब 40 साल पूर्व अपने पुख्ता रिहायशी मकान का निर्माण कर रखा है। गांव गादली से दाधिया जाने वाला रास्ता करीब 18 फुट चौडा रहा है, लेकिन उक्त रास्ता के दूसरी तरफ लगने वाले काश्तकार द्वारा रास्ता पर ई से एफ व एकस से वाई स्थान पर अतिक्रमण कर रास्ता की भूमि को अपनी आराजी में मिला लिया तथा अब अप्रार्थी संख्या-01 व 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या-03 के साथ साजबाज होकर बिन्दु ए से बी स्थान पर उक्त रास्ते की चौडाईकरण कर डामर रोड बनाना चाहते हैं, जबकि दीगर आराजी खसरा नंबर 589 के खातेदार निहालसिंह व आराजी खसरा नंबर 591 के खातेदार रामोतार ने रास्ते की भूमि खसरा नंबर 312 को अपनी आराजी में मिला लिया तथा अप्रतिवादीगण, प्रार्थीया की आराजी खसरा नंबर 271 में निर्मित मकानात को मिसमार कर रास्ता बिना विधिक प्रक्रिया व बिना पैमाईश कराये करना चाहते हैं, जबकि प्रार्थिया ने अपने मकानात आराजी खसरा नंबर 271 में रिहायशी मकानात का निर्माण किया हुआ है।

3. यह भी अभिवचन किए कि अप्रार्थीगण संख्या-01 लगायत 03,

प्रार्थीया की हिस्से की आराजी को दबाकर प्रार्थीया की हिस्से की आराजी में निर्मित मकानों को मिसमार कर प्रार्थीया की आराजी में से जबरन बिना पैमाईश व बिना मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के रास्ते पर सडक का निर्माण करना चाहते हैं, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता खसरा नंबर 312 की कोई पैमाईश नहीं करायी गयी और ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण हटवाया गया तथा प्रार्थीया द्वारा वक्त मकानात निर्माण रास्ते के साथ जगह छोडकर निर्माण किया गया था तथा पूर्व में भी रास्ते की चौडाईकरण की गई थी, जो पूर्व में भी बिना किसी पैमाईश के बिना किसी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के प्रार्थीया की जायदाद को दबाकर रास्ता बनाया गया था। अब पुनः चौडाईकरण करने से वादिया को काफी क्षति होगी। अप्रार्थीगण संख्या-01 लगायत 03 द्वारा रास्ते का निर्माण मुताबिक रिकॉर्ड नहीं किया जाकर मौके पर प्रार्थिया की आराजी खसरा संख्या 271 को दबाकर निर्माण किया था तथा अब पुनः मुताबिक रिकॉर्ड व रास्ते की पैमाईश किये बिना रास्ते का निर्माण के लिए अप्रार्थीगण आपस में उतारू हो रहे हैं तथा प्रार्थीया की आराजी खसरा नंबर 271 में निर्मित मकानों को मिसमार कर व प्रार्थीया की आराजी को दबाकर निर्माण करने पर अप्रार्थीगण उतारू हो रहे है, जबकि मुताबिक रिकॉर्ड खसरा नंबर 312 मौके पर दीगर आराजी खसरा नंबर 591 व 589 में से होकर जाता है, लेकिन अप्रार्थीगण दीगर आराजी की खातेदारों के साथ आपस में साजबाज होकर मौके पर प्रार्थीया की आराजी में निर्मित मकानों को मिसमार कर रास्ता कायम व प्रार्थीया की आराजी खसरा नंबर 271 को दबाकर पुनः निर्माण करने पर उतारू हो रहे हैं, जिस पर प्रार्थीया द्वारा दिनांक 22-12-2025 को एक लिखित प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता सार्वजनिक विभाग मुण्डावर के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें रास्ते की पैमाईश करने बाबत कहा गया लेकिन अप्रार्थी संख्या-01 द्वारा लिखित शिकायत अपने पास रख ली गई और कोई कार्यवाही नहीं की तथा प्रार्थीया द्वारा रास्ते की पैमाईश बाबत एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर के समक्ष पेश कर रखा है, जिसमें भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा अप्रार्थीगण आपस में साजबाज होकर प्रार्थीया की आराजी को दबाकर तथा प्रार्थीया द्वारा निर्मित मकानों को मिसमार कर रास्ता कायम करना चाहते हैं, जिसका अप्रार्थीगण को हक व अधिकार नहीं हैं तथा ऐसा करने से प्रार्थीया को बहुत नुकसान व क्षति होगी, जिसकी पूर्ति रूपय-पैसों से नहीं आकी जा सकेगी। दिनांक 22-12-2025 को अप्रार्थीगण ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुवे बिना पैमाईश किये प्रार्थीया की

आराजी को दबाते हुवे व प्रार्थीया के मकानात को मिसमार करने का प्रयास किया, जिस पर प्रार्थीया ने मना किया तो अप्रार्थीगण ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए लडाई-झगडा करने लग गये तथा जबरन रिहायशी मकानात को मिसमार कर आराजी को दबाकर सडक निर्माण करने का प्रयास किया तथा धमकी दी है कि हम रातो-रात तुम्हारी जायदाद को मिसमार कर जायदाद को दबाकर सडक का निर्माण करके रहेंगे।

4. अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि गैर-मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 312 जो वाके ग्राम गादली में स्थित है। जिस रास्ते की बिना पैमाईश कराये तथा रास्ते की आड में मिन प्रार्थीया की आराजी खसरा नंबर 271 रकबा 0.81 हैक्टेयर, 275 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 276 रकबा 0.19 हैक्टेयर को दबाये बिना तथा ना ही प्रार्थीया के मकानात को मिसमार करें, कोई भी सडक का निर्माण नहीं करें, ना ही किसी भी प्रकार से प्रार्थीया के उपयोग व उपभोग में मजाहमत पैदा ना करें व मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

5. इसके खण्डन में प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया है कि प्रार्थी ने मनमाने तरीके से गलत नक्शा तैयार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है, रास्ते संबंधी किसी प्रकार का राजस्व रिकॅर्ड पेश नहीं किया है। गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 312 कदीमी गैर-मुमकिन रास्ता है, जिस पर करीब 35-40 वर्ष पूर्व राज्य सरकार की ऐजेन्सी के रूप में पी.डब्लू.डी. विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अप्रार्थीगण नंबर-01 व 02 के द्वारा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर अप्रार्थी नंबर-03 से राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करते हुये हरियाणा बॉर्डर पर स्थित गांव दादीया से पलावा होता हुआ नेशनल हाईवे पर स्थित कस्बा शाहजहांपुर तक बनाया गया था जो पहले 3.75 मीटर चौडाई का था, जिसका सी.आर.आई.एफ. (सेन्ट्रल रोड इन्फ्राट्रैक्चर फण्ड) योजना के तहत 7 मीटर चौडाई का बनाया जा रहा है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि में कब मकान बनाया ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली के साथ पत्रावली पर पेश नहीं है। प्रार्थी द्वारा गांव गादली से दादीया जाने वाला रास्ता करीब 18 फुट चौडा दर्ज किया है, जो गलत है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 271 को बिना कन्वर्जन कराये तथा कृषि भूमि के बाबत कोम्पीटेण्ट ऑथोरिटी लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर की बिना अनुमति के कृषि भूमि में रिहायशी मकान कब व कैसे बनाये कोई

प्रमाण पत्रावली पर नहीं है तथा पत्रावली पर यह भी प्रमाण नहीं है कि गैर-मुमकिन रास्ते से प्रार्थी ने कितनी दूर किसकी अनुमति से मकान बनाये प्रार्थी ने विवादित स्थान पर अर्से दराज पूर्व से सडक निर्माण हो रहा है, इन तथ्यों को छुपाते हुये केवल रास्ता स्थित होना व उसका चौडाईकरण कर डामर रोड बनाना चाहते है, जबकि विवादित स्थल पर पिछले 35-40 वर्ष पूर्व से सडक स्थित है, जिसका अप्रार्थीगण द्वारा सी.आर.आई.एफ. योजना के तहत चौडाईकरण करते हुये सडक के दोनों तरफ सडक को बराबर सीमा में चौडाईकरण किया जायेगा, जिसमें जिन लोगों ने सडक के नजदीक दीवार/मकान/पानी की खेल का निर्माण किया हुआ है, उनको नियमानुसार हटाया जायेगा। प्रार्थी से अप्रार्थीगण की कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। यह जरूरी भी नहीं है कि प्रार्थी का मकान तोडा ही जायेगा यदि सडक के बहुत नजदीक प्रार्थी का मकान हुआ तो हटाया जा सकता है। अभी तक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। गैर मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 312 पर पिछले 35-40 वर्ष पूर्व पी.डब्लू.डी. विभाग द्वारा सडक बनायी गई थी, जिस पर 35-40 वर्ष से ही लगातार बिना किसी ऐतराज व विरोध के आमजन व सरकारी वाहनों का आवागमन हो रहा है। बिना वजह प्रार्थी को क्षति पहुंचाने की अप्रार्थीगण की कोई मंशा नहीं है। सरकारी योजना के तहत सडक का पुर्ननिर्माण हो रहा है। प्रार्थी द्वारा दर्ज तथ्यों के समर्थन में प्रार्थी के पास कोई प्रमाण नहीं है। दिनांक 22-12-2025 की तथाकथित प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है तथा अप्रार्थीगण के बाबत आपस में साजबाज होने जैसी कहानी कतई गलत है। विवादित सडक सार्वजनिक/आम सडक है जो आमजन के उपयोग हेतु चौडाईकरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नहीं है। दिनांक 22-12-2025 की तथाकथित घटना अप्रार्थीगण द्वारा अपने पद के दुरूपयोग करते हुये लडाई-झगडा करना व जबरन रिहायशी मकानात को मिसमार कर आराजी को दबाकर सडक निर्माण करने की धमकी देने बाबत आरोप कतई गलत है। प्रार्थी को दिनांक 22-12-2025 को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थीगण द्वारा आज तक प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस सम्मन नहीं भेजा गया तथा बिनायदावी व बिनायमुखास्मत बाबत दिनांक 22-12-2025 को व अन्य किसी भी दिन किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। अंत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपीलार्थी/प्रार्थीया सन्तोषदेवी में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपने आलौच्य आदेश दिनांक 10-02-2026 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की गई थी। उक्त आलौच्य आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी/प्रार्थीया द्वारा प्रत्यर्थीगण सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा व अन्य के विरुद्ध हस्तगत अपील न्यायालय में पेश की गई है।

7. उभयपक्ष की बहस अपील सुनी गयी। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आलौच्य आदेश का अवलोकन किया गया।

8. अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा को प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु को तय किया जाना है। जिनके संबंध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपील मीमों में वर्णित तथ्यों व उभयपक्ष के द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्कों पर बिन्दुवार विवेचन निम्न प्रकार हैः-

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः-</u>

9. उक्त बिन्दू को साबित करने का भार अपीलार्थी/प्रार्थीया पर है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रार्थीया ने उक्त बिन्दु के संबंध में कथन किया है कि प्रार्थीया के खसरा नंबर 271 में पिछले 40 वर्षों से मकान बना हुआ है। प्रार्थीया के मकान के बगल में गैर-मुमकिन रास्ता खसरा नंबर 312 में स्थित है। उक्त गैर-मुमकिन रास्ता को बिना पैमाईश कराये अप्रार्थीगण चौडा कर रहे हैं, जबकि उक्त गैर-मुमकिन रास्ता के दूसरी तरफ स्थित खातेदारों द्वारा गैर-मुमकिन रास्ते की जमीन को दबा कर अतिक्रमण कर रखा है और अब अप्रार्थीगण बिना रास्ते की पैमाईश करवाये रोड को चौडा कर प्रार्थीया के मकान को मिसमार करना चाहते हैं, जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

10. जबकि दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन रहा है कि वे नियमों के तहत ही पूर्व स्थित डामर रोड को चौडा कर रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को मामले में अभी कोई नोटिस नहीं दिया गया है। प्रार्थीया के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खसरा नंबर 271 में स्थित उसके मकान की पैमाईश क्या रही है और संपूर्ण खसरा नंबर 271 की पैमाईश क्या है।

11. उभयपक्ष के कथनों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक

अवलोकन किया गया।

12. इस तरह प्रार्थीया का कथन रहा है कि खसरा नंबर 271 में उसका पिछले 40 वर्षों से मकान निर्मित है तथा उक्त मकान खसरा नंबर 312 गैर-मुमकिन रास्ते के बगल में स्थित है और अप्रार्थीगण पूर्व स्थित रोड को चौडा कर रहे हैं। इस संबंध में प्रथम तो प्रार्थीया द्वारा उसके खसरा नंबर 271 की कोई पैमाईश पेश नहीं की गयी है और ना ही उक्त खसरा नंबर का नक्शा ट्रेस पेश किया गया है, जबकि दूसरी तरफ अप्रार्थीगण का इस संबंध में यह स्पष्ट कथन रहा है कि अभी तक उनके द्वारा प्रार्थीया को अतिक्रमण बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। प्रार्थीया का यह भी कथन रहा है कि रास्ते के दूसरी तरफ स्थित खातेदारों द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन अतिक्रमण कब किया है, कितनी भूमि पर किया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। स्वयं प्रार्थीया के अभिवचनों के अनुसार खसरा नंबर 312 में पूर्व से ही डामर रोड स्थित है। अप्रार्थीगण के अनुसार अब उस डामर रोड को चौडा किया जा रहा है। इस संबंध में अप्रार्थीगण का यह स्पष्ट कथन व अभिवचन रहा है कि उनके द्वारा विहित नियमों के तहत ही उक्त रोड को चौडा किया जा रहा है। अतः उपरोक्त स्थिति में जबकि पूर्व से स्थित डामर रोड को चौडा किया जा रहा हो और प्रार्थीया द्वारा खसरा नंबर 271 की पैमाईश स्पष्ट नहीं की गयी हो तो उपरोक्त स्थिति में प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है। अतः उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी/प्रार्थीया के विरुद्ध तय किया जाता है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश को पुष्ट किया जाता है।

<u>सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति-</u>

13. उपरोक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक साथ किया जा रहा है। उक्त बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रथम दृष्टया मामले में अपीलार्थी/प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया गया है। मामले के तथ्यों के अनुसार खसरा नंबर 312 में पूर्व से स्थित डामर रोड को चौडा किया जा रहा है तथा वह आम रास्ता जन सामान्य के उपयोग का है तो उक्त स्थिति में प्रार्थीया को कोई असुविधा व अपूरणीय क्षति कारित होना प्रकट नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त आये तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए उक्त दोनों बिन्दु भी अपीलार्थी/प्रार्थीया के विरुद्ध तय किए जाते हैं और इस संबंध में सक्षम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पुष्ट किया

जाता है।

14. चूंकि उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओं का निर्धारण अपीलार्थी/प्रार्थीया के विरूद्ध किया गया है। अतः अपीलार्थी/प्रार्थीया की अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने व सक्षम अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 10-02-2026 पुष्ट किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

15. परिणामस्वरूप अपीलार्थी/प्रार्थीया सन्तोषदेवी द्वारा प्रस्तुत अपील बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग मुण्डावर व अन्य अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा सक्षम अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 10-02-2026 को पुष्ट किया जाता है।

16. योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की एक प्रति के साथ नियमानुसार अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(शक्ति सिंह)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा

17. आदेश आज दिनांक 06-07-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा